राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.4(ई)(1)(6)/कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा–2013/अलेसे –III/ 2104 दिनांक :– 31-07-2018

प्रेषित :–

श्री पवन व्यास
पुत्र श्री राजेन्द्र व्यास
जिवन राम हर्ष की गली,
मोहता चौक बीकानेर (राज0)

विषय :– कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच एवं चरित्र सत्यापन करवाने बाबत्।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा 2013 में सफल घोषित होने पर आपका नाम कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति हेतु इस विभाग को भिजवाया गया है। निर्देशानुसार नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न कार्यवाही वांछित है:–

1 आपके फार्म में अंकित तथ्यों का आपके मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन।
2 आपके चरित्र का जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सत्यापन।
3 राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत किया जाना।
4 रूपये 50/– मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर संलग्न शपथ पत्र नोटरी पब्लिक से प्रमाणित।

अतः इस पत्र के साथ चरित्र सत्यापन करवाने संबंधी प्रपत्र (अटेस्टेशन फार्म–05 प्रतियों में) एवं संलग्न सूची के अनुसार आवश्यक शपथ पत्रों के प्रारूप की प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है, जिनकी सम्पूर्ण पूर्ति कर अपने शैक्षणिक योग्यता, अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (पिता की आय के आधार पर नवीनतम) एवं विकलांगता आदि संबंधी मूल प्रमाण पत्रों के साथ कृपया दिनांक 01.08.2018 को प्रातः 10 बजे निदेशालय, कोष एवं लेखा विभाग, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें ताकि मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं चरित्र सत्यापन कराकर आपकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाई की जा सके। उक्त कार्य के लिए उपस्थित होने पर आपको कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा, 2013 की समस्त नियुक्ति प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 1464–66/2017 कैप्टन गुरूविन्दर सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के अधीन रहेगी एवं आरपीएएसी अजमेर द्वारा उच्च न्यायालय में दायर डीबी स्पेशल अपील संख्या 715/2018 के निर्णय दिनांक 16.07.2018 के विरूद्ध दायर की जाने वाली एस.एल.पी., के अन्तिम निर्णय के अधीन एवं एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 12003/2017 श्री राजेन्द्र सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2018 के विरूद्ध दायर की गई डी.बी स्पेशल अपील याचिका तथा उक्त पदो के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/ जोधपुर में लंबित विभिन्न याचिकाओं एंव माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में लम्बित विभिन्न रिट याचिकाओं / एस.एल. पी के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :– एफ.4(ई)(1)(6)/कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा–2013/अलेसे –III/ 2104 दिनांक :– 31-07-2018

प्रतिलिपि :–

1 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
2 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर को उनके पत्र सं.प.2 (16) वित्त/राजस्व/2008/पार्ट दिनांक 31.07.2018 के सन्दर्भ में।
3 संयुक्त निदेशक (विधि)/उपविधि परामर्शी।
4 उप निदेशक (एसीपी), कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)